संख्या-139/2017/2026/26-32017-10(28)/1999

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 04 सितम्बर, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225 व 2235 पर संचालित योजनाओं से सम्बन्धित के अवशेष 07 माहों (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) के लिये मानक मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियां।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-1061-63/स0क0/लेखा-बजट/वित्तीय स्वीकृति/2017-18 दिनांक 26.07.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त 2017 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के लेखाशीर्षक '2225-अनुसूचित जातियांे, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-'' एवं ''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण'' के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में खर्चो को वहन करने के लिए कुल प्राविधानित धनराशि **रूपया-74335.81 लाख (रूपये सात अरब तिरालिस करोड़ पैतीस लाख इक्यासी हजार मात्र)** के सापेक्ष लेखानुदान की धनराशि को घटाते हुये वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतिम 07 माह (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) हेतु **रूपया-64045.87 लाख (रूपये छः अरब चालीस करोड़ पैतालिस लाख सत्तासी हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2017-18 के अंतिम 07 माह (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित अंतिम 07 माह (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त 2017 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

संख्या-139/2017/2026(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल आॅडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
8- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-129/2017/2026/26-3-2017-10 (28)/1999 दिनांक-5 सितम्बर, 2017
का संलग्नक

अनुदान संख्या-80

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखा शीर्षक/योजनाएं/मानक मद	आय-व्ययक प्राविधान वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पाच माह हेतु लेखा-अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतिम सात माह (सितम्बर 2017 से मार्च 2018 तक) हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण			
07-विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनूसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों छात्रावासों और			
पाठशालाओं का सुधार विस्तार (जिला योजना)			
20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)	130.00	54.17	75.83
योग : 07	**130.00**	**54.17**	**75.83**
योग : 277	**130.00**	**54.17**	**75.83**
80-सामान्य			
800- अन्य व्यय			
03-शैक्षिक कार्यक्रम			
0302- विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति के विद्यालयों के			
संचालन के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	400.00	166.67	83.33
योग : 03	**400.00**	**166.67**	**83.33**
योग : 800	**400.00**	**166.67**	**83.33**
योग : 80	**400.00**	**166.67**	**83.33**
योग 2225	**530.00**	**220.84**	**159.16**
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
01-पुनर्वास			
800-अन्य व्यय			
03-कश्मीर से आये विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता			
20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	27.81	11.59	16.22
योग : 800	**27.81**	**11.59**	**16.22**
योग : 01	**27.81**	**11.59**	**16.22**
02- समाज कल्याण			
104-वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
02- वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं			
को सहायता			
20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	6000.00	2500.00	3500.00
05-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
योग : 104	**6000.00**	**2500.00**	**3500.00**
107-स्वैच्छा संगठनों को सहायता			
03- मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं एवं संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने के लिये अनुदान			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन)	15.00	6.25	8.75
योग : 03	**15.00**	**6.25**	**8.75**
योग : 107	**15.00**	**6.25**	**8.75**
200–अन्य कार्यक्रम			
05–सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के युवक/युवतियों के लिये पूर्व			
परीक्षा प्रशिक्षण			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	108.00	45.00	63.00
06–आई.ए.एस./पी.सी.एस. मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	55.00	22.92	32.08
11–दिल्ली स्थित संस्थानों में आई.ए.एस./पी.सी.एस. प्रारम्भिक परीक्षा हेतु			
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	100.00	41.67	58.33
योग : 200	**263.00**	**109.59**	**153.41**
योग : 02	**6278.00**	**2615.84**	**3662.16**
60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
102–समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
0302– वृद्धावस्था/किसान पेंशन			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	67500.00	7291.67	60208.33
योग : 03	**67500.00**	**7291.67**	**60208.33**
योग : 102	**67500.00**	**7291.67**	**60208.33**
योग : 60	**67500.00**	**7291.67**	**60208.33**
योग : 2235	**73805.81**	**9919.10**	**63886.71**
योग 2225	**530.00**	**220.84**	**159.16**
योग 2235	**73805.81**	**9919.10**	**63886.71**
महायोग(2225+2235)	**74335.81**	**10139.94**	**64045.87**

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।